पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0 (को0) 220/2017 978 न0वि0 एवं आ0वि0

(82)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम, बिहार।
कार्यपालक अभियंता
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण,
कार्यपालक पदाधिकारी
सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 26/7/17

विषयः– निविदा कार्यों हेतु संशोधित मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप के अनुरूप निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ई–टेंडरिंग पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

प्रायः देखा जा रहा है कि नगर निकायों द्वारा भिन्न–भिन्न निविदा शर्त्तों का समावेश करते हुए निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित करायी जाती है।

सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा संशोधित मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप तैयार किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यान्वित किये जाने वाले योजनाओं को राशि के आधार पर निम्नांकित तीन श्रेणियों में रखा गया है।

(1) 50.00 लाख तक के राशि के कार्यों की निविदा।

(2) 50.00 लाख से 200.00 लाख तक के राशि के कार्यों की निविदा।

(3) 200.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए।

उपरोक्त क्रमांक (1) एवं (2) पर अंकित राशि के योजनाओं के लिए संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप अलग–अलग संलग्न की जा रही है।

क्रमांक (3) पर अंकित राशि के योजनाओं के लिए निविदा S.B.D के आधार पर किया जाना है, जो पूरे राज्य के लिए समान शर्त्तों के अनुरूप होता है। हालांकि S.B.D के साथ–साथ क्रमांक (2) पर अंकित निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप भी अपलोड करना आवश्यक होता है।

(81)

उल्लेखनीय है कि निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल–जल योजना के लिए भी मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप निर्गत किया गया था, जिसमें भी कतिपय संशोधन की आवश्यकता है। तद्नुसार नल–जल योजना हेतु पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप में निम्नांकित सुधार कर लिया जाय।

(1) रोटरी रिभर्स रिग मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता, डुडा से कराने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए मात्र उक्त संयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) चरित्र प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।

(3) वैट निबंधन के स्थान पर जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(4) राजपत्रित पदाधिकारी के सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त करते हुए सभी अपलोडेड कागजात संवेदक द्वारा स्वसत्यापित रहने की शर्त्त रखी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया संलग्न मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप के अनुरूप ही योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित करायी जाय। यह निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनु0:– (1) 50.00 लाख से कम राशि के लिए (एकल बीड पद्धति द्वारा) का निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप

(2) 50.00–200.00 लाख राशि तक के लिए (डबल बीड पद्धति द्वारा) का निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप

विश्वासभाजन

26.7.17

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 11 न0वि0 अभि0 (को0) 220/2017 978 पटना, दिनांक– 26/7/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26.7.17

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग

E:\S ENG. File 2014\Chief Engineer Sir File\General Letter for ... docx